

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 219/2017  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2017/00998

वादीगण  
1. जगतसिंह पुत्र रावता  
2. लालसिंह पुत्र रावता  
जाति राजपुरोहित निवासी असाड़ा  
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम प्रतिवादी


1. तेजसिंह पुत्र रावताराम  
2. कालू पुत्र प्रतापा  
3. मंगला पुत्र प्रतापा  
4. भीखा पुत्र प्रतापा  
5. गिरधारी पुत्र माना  
6. नेमीचंद पुत्र देवीसिंह  
7. दिनेश पुत्र देवीसिंह  
8. हाकमसिंह पुत्र देवीसिंह  
9. भंवरसिंह पुत्र अचला  
10. लालचंद पुत्र जीवा  
11. उगमसिंह पुत्र जीवा  
12. उम्मेदसिंह पुत्र जीवा  
13. सायरोदेवी पत्नी भंवराराम  
जाति राजपुरोहित निवासी असाड़ा  
तहसील पचपदरा  
14. महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत  
निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा  
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 से 15 एकतरफा।

  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 20.05.2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुरांगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1444 क्षेत्रफल 7.9804 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 06.8.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1444 क्षेत्रफल 7.9804 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बचिन्ह
1	लालसिंह पुत्र रावताराम कौम पुरोहित सा देह खातेदार रहन RMGB शाखा असाड़ा	असाड़ा	1444	0.9752	बा.अव्वल	नक्शे में दर्शितानुसार
2	मंगलसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा पूर्ण कौम पुरोहित सा.देह खातेदार	असाड़ा	1444	0.9752	बा.अव्वल	नक्शे में दर्शितानुसार
3	अजयपालसिंह नटवरसिंह पि. महेन्द्रसिंह फूलकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह महेन्द्रकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सायरो देवी पत्नि अमराराम हि. 1/2 जाति पुरोहित सा. देह	असाड़ा	1444 1444	1.2950 0.6555	बा.अव्वल	नक्शे में दर्शितानुसार
4	भीखसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि. 1/2 अनीतादेवी पत्नि सांवलसिंह उर्फ कालूसिंह ईश्वरलाल सुरेश कुमार शान्तीलाल, नरेन्द्रसिंह, कन्हैयालाल पि. सांवलसिंह उर्फ कालूसिंह हि. 1/2 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	असाड़ा	1444	1.9505	बा.अव्वल	नक्शे में दर्शितानुसार



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

5	जगतसिंह पुत्र रावताराम हि. 1/2 तेजसिंह पुत्र रावताराम हि. 1/2 कौम पुरोहित सा देह खातेदार	असाड़ा	1444	1.9505	बा.अब्बल	नक्शे में दर्शितानुसार
6	अजयपालसिंह नटवरसिंह पि. महेन्द्रसिंह फूलकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह महेन्द्रकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सायरोदेवी पत्नि अमराराम हि. 1/8 लालसिंह जगतसिंह तेजसिंह पि. रावताराम हि. 3/8 अनीता पत्नि सांवलसिंह उर्फ कालूसिंह ईश्वरलाल, सुरेशकुमार शान्तीलाल नरेन्द्रकुमार कन्हैयालाल पि. सांवलसिंह उर्फ कालूसिंह हि. 1/8 भीखसिंह मंगलसिंह पि. प्रतापसिंह हि. 1/4 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार रहन-लालसिंह का हिस्सा RMGB शाखा असाड़ा में।	असाड़ा	1444	0.1785	बा.अब्बल (रास्ते हेतु)	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार, पंचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

द्विती प्रर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

*(Signature)*  
(अशोक कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

20/5/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 219/2017  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2017/00998

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. जगतसिंह पुत्र रावता
  2. लालसिंह पुत्र रावता
- जाति राजपुरोहित निवासी असाड़ा  
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. तेजसिंह पुत्र रावताराम
2. कालू पुत्र प्रतापा
3. मंगला पुत्र प्रतापा
4. भीखा पुत्र प्रतापा
5. गिरधारी पुत्र माना
6. नेमीचंद पुत्र देवीसिंह
7. दिनेश पुत्र देवीसिंह
8. हाकमसिंह पुत्र देवीसिंह
9. भंवरसिंह पुत्र अचला
10. लालचंद पुत्र जीवा
11. उगमसिंह पुत्र जीवा
12. उम्मेदसिंह पुत्र जीवा
13. सायरोदेवी पत्नी भंवराराम  
जाति राजपुरोहित निवासी असाड़ा  
तहसील पचपदरा
14. महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत  
निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर : 219/2017

निर्णय दिनांक :- 20.5.2025

वादीगण की ओर से श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 15 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 20.05.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 20.05.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा


पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पंचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 20.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(अशोक कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा



### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	---	जोड़	---

  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा  
20/05/2025